

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 517]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2019—अग्रहायण 29, शक 1941

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

क्र. एफ 3-12-2019-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 के तहत मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 25 अक्टूबर 2019 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची-एक में वाणिज्यिक कर विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

अनुसूची—“एक”

(1) वाणिज्यिक कर विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बूटासिंह इवने, उपसचिव.

## अनुसूची "दो"

## निःशक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन

विभाग : वाणिज्यिक कर विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्त जनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (06 प्रतिशत के मान से)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमा क
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5 प्रतिशत)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रतिशत)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
द्वितीय	जिला पंजीयक	24	24	1	0	0	1	0	1	
तृतीय	उप पंजीयक	121	121	7	2	2	2	1	7	
तृतीय	उप पंजीयक (अनु. सेवा)	27	27	1	0	0	0	1	1	
तृतीय	सहायक ग्रेड-3	116	116	7	1	2	2	2	7	
तृतीय	पंजीयन लिपिक	265	265	16	4	4	4	4	16	
तृतीय	स्टेनोग्राफर	9	9	1	1	0	0	0	1	
तृतीय	स्टेनो टाईपिस्ट	58	58	3	1	1	1	0	3	
तृतीय	वाहन चालक	11	11	0	0	0	0	0	0	
तृतीय	सहायक प्रोग्रामर	6	6	0	0	0	0	0	0	
तृतीय	आई.टी. ऑपरेटर	2	2	0	0	0	0	0	0	
तृतीय	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	1	0	0	0	0	0	0	
चतुर्थ	भृत्य (मुख्यालय हेतु)	11	11	1	0	0	0	1	1	